

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2024] No. 2024] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का.आ. 2282(अ).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 12 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति का नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

"घोषणा

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 35 के साथ पिठत राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, अनूप मिश्रा, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद, निवासी 42, एचआईजी महर्षि दयानंद विहार, फेज़ 2, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, को भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है। नई दिल्ली

20 जुलाई, 2017

ਜ਼./-

अनूप मिश्रा, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर और महासचिव लोक सभा"।

[फा. सं. एच-11024/4/2016-वि-2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

4423 GI/2017 (1)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2017

S.O. 2282(E).—In pursuance of the provisions of Section 12 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the following declaration containing the name of the person elected to the Office of the President of India is published for general information:—

"DECLARATION

In pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952) read with rule 35 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, I, Anoop Mishra, the Returning Officer for the Presidential Election, 2017, hereby declare that Shri Ramnath Kovind, resident of 42, HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase-2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the Office of President of India.

New Delhi 20 July, 2017

Sd/ANOOP MISHRA, Returning Officer
for the Presidential Election, 2017 and
Secretary-General, Lok Sabha".

[F. No. H-11024/4/2016-Leg.II] Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.